

सेवाओं एवं संसाधनों,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,  
स्व.कै.श्याम प्रसाद प्रजापती ग्राम  
प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,  
रामचनपुर बरियादा  
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक: 2452/टी-3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति

लखनऊ : दिनांक :

10/10/2013

विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केंद्रों के व्यवसाय/कृषियों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0आई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23-8-2012 पर दिनांक 25-09-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका पट्टरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अनुक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी0जी0आई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 02(j+1)	02(j+1)	02(j+1)	SCIR-23/8/12 W.e.f. Aug 2012
2-	Electrician 02(j+1)	02(j+1)	02(j+1)	

DGET-6/24/363/2012 -TC      DATED 25/09/2012

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एन0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एन0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचारार्थीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपको अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा जारी गई कसिपों/कृषियों का विनाकरण समयावधिगत करके अपनी आस्था विन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अधिलेख प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रतिस्पर्धियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(साहस देव) 28/13  
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)

पत्रांक : /टी-3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति/

तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्ष)लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
2. संबंधित संस्थान/केंद्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(साहस देव)  
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)

साहस देव